सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा .सं:. NCST/SER-1610/JH/148/2024-RO-RNC-RU-IV   दिनांक: 19.01.2026

सेवा मे,

1. **प्रमुख सचिव,**
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग,
झारखंड सरकार,
नेपाल हाउस डोरंडा रांची,
रांची, झारखंड 834002

2. **उपायुक्त,**
उपायुक्त कार्यालय,
जिला - चतरा,
समाहरणालय भवन,
चतरा, झारखंड 825401
Email Id: dc-cha@nic.in

विषय: अभ्यावेदक श्री नेकी लकड़ा, पता - बाबू लेन, पोस्ट चर्च रोड़ राँची, (झारखंड) से प्राप्त अभ्यावेदन "उनकी पत्नी श्रीमति अनीता रोशनी, एएनएम (अनुबंध) सामुदायिक उप स्वाथ्य केन्द्र बरकुटे में कार्यरत को डॉ. सुदीप कुमार द्वारा प्रताड़ित करने एवं स्थानांतरण आदेश रद्द करने अनुरोध" के संबंध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आयोग की माननीय सदस्य डॉ आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 24.12.2025 को आयोग मे हुई सिटिंग के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर आपको प्रेषित है।

आपसे अनुरोध है कि सिटिंग के कार्यवृत्त मे की गई अनुशसाओं पर अनुपालन रिपोर्ट / की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 30 दिनों के भीतर आयोग को प्रस्तुत करने का कष्ट करें ।

भवदीय

यो.प्र. यादव

(यो. प्र. यादव / Y. P. Yadav)
उप सचिव / Deputy Secretary
E.mail ID: rahul.1424@ncst.nic.in

प्रति सूचनार्थ:

श्री नेकी लकड़ा,
बाबुलेन अपोजिट बेतेसाडा गर्ल्स मिडिल स्कूल
पो - चर्च रोड, पीएस -लोअर बाजार,
रांची, झारखण्ड -834001
nackeylakra011@gmail.com
Mobile No:9162467613

PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)
NIC for uploading

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फाइल सं NCST/SER-1610/JH/148/2024-RO-RNC

अभ्यावेदक श्री नेकी लकड़ा, निवासी बाबू लेन, पोस्ट चर्च रोड, राँची (झारखंड) द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन, जिसमें उनकी पत्नी श्रीमती अनीता रोशनी, एएनएम (अनुबंध), सामुदायिक उप स्वास्थ्य केन्द्र, बरकुटे, जिला–चतरा के विरुद्ध डॉ. सुदीप कुमार द्वारा की गई कथित प्रताड़ना तथा स्थानांतरण आदेश को निरस्त किए जाने की मांग की गई है, के संबंध में आयोग के मुख्यालय, नई दिल्ली में आयोजित सिटिंग का कार्यवृत्त।

सुनवाई की तिथि तथा समय : 24.12.2025 को अपराह्न 04:00 बजे
सिटिंग में उपस्थित प्रतिभागी : अनुलग्नक-I अनुसार।

अभ्यावेदक श्री नेकी लकड़ा, राँची, (झारखंड) ने आयोग को लिखित शिकायत किया है कि उनकी पत्नी अनिता रोशनी ए० एन० एम० (अनुबंध पर)चतरा जिला के टद्वा प्रखण्ड के सामुदायिक स्वाथ्य केन्द्र के अंतर्गत उप स्वास्थ केन्द्र बरकुटे में कार्यरत है तथा वहाँ के प्रभारी डॉ० सुदीप कुमार द्वारा उनकी पत्नी को मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है । अभ्यावेदक ने यह उल्लेख किया है कि उनकी पत्नी एवं अन्य महिला कर्मचारियों को राजपत्रित अवकाश का वेतन काट कर भुगतान किया जाता है जिससे कारण सभी ए०एन०एम० कर्मियों ने इसकी शिकायत मिशन निर्देशक राष्ट्रीय स्वास्थ मिशन नामकुम राँची को दिनांक 24.05.2024 को किया था तथा दिनांक 30.07.2024 को उपायुक्त, जिला - चतरा को भी इसकी शिकायत की गई थी किन्तु कोई कार्रवाई प्रभारी के खिलाफ नहीं हुई । इसी बात से नाराज होकर प्रभारी द्वारा सिविल सर्जन, चतरा, डॉ० जगदीश प्रसाद को बोल कर उनकी पत्नी का स्थानांतरण सिमरिया एम०टी०सी० में कर दिया गया है । इस संबंध में अभ्यावेदक की पत्नी सिविल सर्जन चतरा डॉ० जगदीश प्रसाद से मिलने गई तथा अपनी बातों को रखा जिसके पश्चात सिविल सर्जन द्वारा पीड़िता को मौखिक रूप से आश्वासन दिया गया था कि उनका स्थानांतरण रद्द किया जाएगा । इसी के चलते पीड़िता अभी तक उपकेन्द्र बरकुट्टे में अपना कार्य करते चले आ रही थी किन्तु दिनांक 24.08.2024 को जब उपस्थति पंजी में अपना उपस्थिति दर्ज करने गई तब सी०एच०ओ०श्री सूर्य कुमार यादव ने उन्हे कहा कि प्रभारी द्वारा आप का स्थानांतरण कर दिया गया है इसलिए प्रभारी ने आप को मना किया है कि उपस्थिति पंजी में उपस्थति दर्ज करने के लिए और ऑनलाईन उपस्थति पंजी से नाम हटा कर पीड़िता को अनुपस्थित कर दिया । अभ्यावेदक ने उनकी पत्नी के उक्त स्थानांतरण रद्द करते हुए अगस्त माह का वेतन भुगतान करवाने हेतु अनुरोध किया है ।

2. प्रकरण के संबंध में आयोग द्वारा दिनांक 06.11.2024 को सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, रांची तथा उपायुक्त, जिला–चतरा (झारखंड) को तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्राप्त करने हेतु नोटिस जारी किया गया था। तथापि, निर्धारित अवधि में कोई उत्तर प्राप्त न होने के कारण आयोग द्वारा दिनांक 08.05.2025 को स्मरण-पत्र प्रेषित किया गया। इसके बावजूद संबंधित विभागों से अब तक कोई प्रत्युत्तर आयोग को प्राप्त नहीं हुआ है। इस बीच,

आभालकड़ा

अभ्यावेदक द्वारा पुनः आयोग के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा उनकी पत्नी को मानसिक एवं आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है।

3. मामले की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए आयोग की माननीय सदस्य द्वारा प्रकरण में दिनांक 24.12.2024 को सिटिंग निर्धारित की गई। तदनुसार सिटिंग नोटिस उपायुक्त, जिला–गढ़वा को निर्गत किया गया। अभ्यावेदक को भी निर्धारित सिटिंग की सूचना विधिवत रूप से प्रदान की गई।

4. निर्धारित तिथि को आयोजित सुनवाई के दौरान सहायक आयुक्त, चतरा उपस्थित हुए, जबकि अभ्यावेदक सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए।

सुनवाई के पश्चात मामले में निम्नलिखित अनुसंशाएँ की जाती हैं :

i. संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रकरण की तत्काल, निष्पक्ष एवं विस्तृत जांच कराई जाए। यदि जांच के दौरान यह तथ्य प्रमाणित होता है कि पीड़िता ने संबंधित अवधि में कार्य किया है अथवा कार्य करने हेतु उपस्थित रही है, किंतु प्रशासनिक कारणों अथवा मनमानी के चलते उनकी उपस्थिति दर्ज नहीं की गई, तो उन्हें उक्त अवधि का पूर्ण मानदेय अविलंब भुगतान किया जाए। साथ ही, मानवीय एवं न्यायोचित दृष्टिकोण अपनाते हुए यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पीड़िता को किसी प्रकार की मानसिक अथवा आर्थिक क्षति न पहुँचे।

ii. प्रकरण में आवश्यक एवं उपयुक्त कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु इस संबंध में तैयार कार्यवृत्त (Minutes) सचिव, स्वास्थ्य विभाग को अग्रेषित किए जाएँ।

iii. यह सुनिश्चित किया जाए कि जांच प्रक्रिया पूर्ण होने तक पीड़िता अथवा अन्य महिला कर्मियों के विरुद्ध किसी भी प्रकार की प्रताड़ना, दबाव अथवा प्रतिकूल प्रशासनिक कार्रवाई न की जाए।

iv. प्रकरण में की गई कार्रवाई से संबंधित अनुपालन प्रतिवेदन (Action Taken Report) आयोग को 30 दिनों की अवधि के भीतर अनिवार्य रूप से प्रेषित किया जाए।

आशा लकड़ा
09/01/2026

(डॉ आशा लकड़ा)
सदस्य
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

Attendance Sheet
National Commission for Scheduled Tribes

NCST/SER-1610/JH/148/2024-RO-RNC-RU-IV

Sitting to be held on **24.12.2025 at 04.00 P.M-** अभ्यावेदक **श्री नेकी लकड़ा**, पता - बाबू लेन, पोस्ट चर्च रोड़ राँची, (झारखंड) से प्राप्त अभ्यावेदन "उनकी पत्नी श्रीमति अनीता रोशनी, एएनएम (अनुबंध) सामुदायिक उप स्वाथ्य केन्द्र बरकुटे में कार्यरत को डॉ. सुदीप कुमार द्वारा प्रताड़ित करने एवं स्थानांतरण आदेश रद्द करने अनुरोध के संबंध में ।

Sl. No.	Name and Designation	Address & Phone No.	Signature
I	**National Commission for Scheduled Tribes**		
1.	Dr. Asha Lakra Hon'ble Member	In Chair	
2.	Shri Yogendra Prasad Yadav Deputy Secretary		
3.	Shri H.R. Meena Consultant		
4	Shri Rahul Investigator		
5.	Ms. Riya Investigator		
6.	Shri Rahul Yadav Legal Consultant		
7.			
II	**Officers from O/o Principal Secretary, Health, Medical Education and Family Welfare Department, Government of Jharkhand**		
1.			
2.			
3.			
III	**Officers from O/o Deputy Commissioner, Chhatra, Jharkhand**		
1.	Arvind Kumar A.C. Chatra	9572819648	[signature] 24/12/25
2.			
3			
IV	**Petitioners**		